न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 15/22 (25/98)

जसपालसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह जाति रामदासिया हरिजन साकिन 01 एल पी एम तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

महेन्द्रसिंह पुत्र गजनसिंह जाति जटसिख साकिन गॉव ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 13–06–22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 1 एल पी एम का मु0 नं0 262/361 की 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता के पास आराजी काश्त पर चल रही थी। इसी मु0 में 12–10 बीघा आराजी रायल के पिता को सन् 1971 में पुख्ता आवंटित की गई थी। चक 1 एल पी एम के मु0 नं0 262/361 की 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि गैरसायल ने गलत बयानी करके ए0सी0सी0 अनूपगढ से दिनांक 21–6–77 को पुख्ता आवंटन करवा ली। गैरसायल उक्त आवंटन करवाने का पात्र व हकदार नहीं था। गैरसायल ने अपनी घरू जमीन के तथ्य को छिपा कर आवंटन करवा लिया है। गैरसायल अपने पिता गजनसिंह का इकलोता पुत्र है और उसके पिता गजनसिंह का देहान्त हो चुका है। गजनसिंह के पास पहले से ही घरू 45 बीघा जमीन चक 6 एफ डी तह0 रायसिंहनगर में थी। चक 9 एफ डी के खाता सं0 नई 10 पुरानी 10 में मु0 नं0 35 में 10 बीघा, मु0 नं0 59 में 8 बीघा नहरी भूमि चक 6 एफ डी के खाता सं0 नई 9 पुरानी 10 में मु0 नं0 14 में 13 बीघा व मु0 नं0 19 में 13 बीघा भूमि थी। इसके अलावा और भी जमीनें उसके पास है जो गैरसायल ने आवंटन से पूर्व छिपाई हैं। पंजब प्रान्त में भी जमीन है, जो गैरसायल ने छिपाई है। आवंटित भूमि का कब्जा आज तक गैरसायल को प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का आवंटन दिनांक 11–3–83 को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि गैरसायल ने आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई थी। दिनांक 22–7–92 को किश्तें जमा कराने का आदेश उपखण्ड अधिकारी,

अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रायसिंहनगर से तथ्यों को छिपा कर आदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार निवेदन किया है कि गैरसायल को मु0 नं0 262/361 की 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि चक 1 एल पी एम तह0 रायसिंहनगर का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार गैरसायल के पिता गजनसिंह के पास चक 6 एफ डी पटवार क्षेत्र ख्यालीवाला तह0 रायसिंहनगर के खाता सं0 नया 98 पुराना 09 में खसरा नं0 13 व 19 में कुल 6.326 है0 बारानी भूमि थी। इसी प्रकार, जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048 में चक 9 एफ डी पटवार क्षेत्र कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर में खाता सं0 नया 10 पुराना 10 में गैरसायल के पिता गजनसिंह के नाम मु0 नं0 35 व 59 में कुल 4.263 है0 नहरी कृषि भूमि थी। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है।

अप्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 13-8-2002 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिकायत के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। चक 1 एल पी एम के मु0 नं0 262/361 की 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि उसके पिता को टी सी पर मिलती रही है जो उसके कब्जा काश्त में आ गई। उक्त रकबा राज होने के कारण भूमिहीन काश्तकारों से आवंटन हेतु आवेदन पत्र मॉगे जाने पर पूर्ण जॉच के बाद रकबा आवंटित किया गया है।अप्रार्थी के पिता के पास विरासत में मिली 17 बीघा कृषि भूमि थी तथा उसको 25 बीघा बारानी भूमि आवंटित हुई थी। दिनांक 21-6-77 को जब उसके पिता को 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन हुआ था तब उसके पिता जीवित थे। जद्दी जायदाद में अप्रार्थी का निस्फ हिस्सा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि बनती थी। अप्रार्थी भूमिहीन की परिभाषा में आने से कमी पूर्ति में 16-10 बीघा भूमि आवंटन करवाने का पात्र था। 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि का जो आवंटन करवाया गया है, उसमें किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। पिता के देहान्त के बाद 25 बीघा बारानी रकबे में व 8 बीघा 10 बिस्वा नहरी में तीन वारिसान हकदार हुए जिसमें अप्रार्थी स्वंय, उसकी माता एवं उसकी बहिन शामिल हैं। अप्रार्थी केवल 3 बीघा 15 बिस्वा नहरी भूमि व 8 बीघा 6 बिस्वा बारानी भूमि यानि कुल 6 बीघा नहरी भूमि का ही हकदार बना । अतः अप्रार्थी हर प्रकार से भूमिहीन की ही परिभाषा में रहा है। 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि कमी पूर्ति में पाने का हकदार था। पंजाब में जमीन होने का शिकायतकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जवाब में गैरसायल ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि किश्तें जमा न करवाने के कारण रकबा खारिज हो गया था आब बाद में दिनांक 22-7-92 के आदेश से उक्त रकबा बहाल करवाया गया था। इस आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा अपील सं0 565/92 राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में पेश की गई थी जो दिनांक 1-10-93 को खारिज हो चुकी है। आवंटित रकबा की खातेदारी सनद अप्रार्थी के नाम से जारी हो चुकी है। पुराना आवंटन होने के कारण अब खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि शिकायत खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी के पिता के पास आवंटन से पूर्व नहरी व बारानी भूमि थी । अप्रार्थी अपने पिता का इकलौत पुत्र है। यह तथ्य अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपा कर चक 1 एल पी एम के मु0 नं0 262/361 के 06-18 बीघा भूमि

Scanned with CamScanner

तथ्यों को छिपा कर चक 1 एल पी एम के मु0 नं0 262/361 के 06–18 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन करवाया है। अतः तथ्यों को छिपा कर करवाया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की भूमि के संबंध में रिपोर्ट कमांक भू0अ0 /2के/2235 दिनांक 25–07–2000 के अनुसार :–

चक 01 एल पी एम के मु0न0 262/361 में 07–16 बीघा भूमि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 21–06–77 द्वारा अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा उक्त रकबा जसपालसिंह, इकबालसिंह पिसरान बलतेजसिंह जटसिख साकिन 31 बी बी तहसील पदमपुर को बैय कर दिया है। मौके पर खरीददारान का कब्जा काश्त है।

हरतगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी महेन्द्रसिंह अपने पिता गजनसिंह का इकलौता पुत्र है और यह तथ्य स्वंय महेन्द्रसिंह अपने जवाब में भी स्वीकार करता है। राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियॉ जो शिकायत के साथ प्रस्तुत हुई है, उससे भी यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के पिता गजनसिंह के पास चक 6 एफ डी में 25 बीघा बारानी और चक 9 एफ डी में 17 बीघा नहरी भूमि थी। अप्रार्थी इकलोता पुत्र होने के कारण उसके पिता के देहान्त के बाद उक्त समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी को प्राप्त हो गई। अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों को छिपा कर तहसील रिपोर्ट के अनुसार चक 01 एल पी एम के मु0न0 262/361 में 07–16 बीघा भूमि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 21–06–77 द्वारा अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पात्रता से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपा कर तहसील रिपोर्ट के अनुसार चक 01 एल पी एम के मु0न0 262/361 में 07–16 बीघा भूमि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 21–06–77 से पुख्ता आवंटन करवाया है। उक्त आवंटित भूमि पात्रता से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में उक्तानुसार भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अमारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner